कार्यालय फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांक 02/2018 / वि0प्रा0 (भ0नि0)/ दिनाक 28.11.18

अनुज्ञा पत्र

श्री/ श्रीमती/ मै0 फिरो० शिको० विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद

आपका आवेदन पत्र दिनांक 05/12/18 मानचित्र सं0 02/2018 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित यातायात नगर योजना भवन निर्माण को मौहल्ला/कालौनी/ग्राम - नागऊ, तहसील - टूण्डला जिला - फिरोजाबाद भूखण्ड/ भवन सं0 .... पर निम्नलिखित शर्तो के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवंम् विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अर्न्तगत स्वीकृति प्रदान की जाती है। (स्वीकृत मानाचेत्र संलग्न है)

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराना होगा।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी भी व्यक्ति से स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम की 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप– नियमों के नियम 21 अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद परिर्वतन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाये पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर मानचित्र निरस्त कराने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

    इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
12. भूखण्डीय क्षेत्रफल 300 वर्ग मी0 से अधिक होने पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग/ ग्राउन्ड रिचार्जिग का कार्य अनिवार्य रूप से निर्माण कराना होगा।
13. अपने भूखण्ड पर कम से कम 700 पेड़ लगाने होंगे।

"ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में भवन निर्माणकर्ता अपने निर्माण के समय निर्माण सामग्री से डस्ट को उड़ने से रोकने के लिए स्थल को कवर (ढकने) करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।"

संलग्नक :–

स्वीकृत मानचित्र की प्रति

प्रतिलिपि :–

अवर अभियन्ता .... को प्रेषित।

28.11.18

सचिव / ~~उपाध्यक्ष~~